

श्री मुरारी मोहन झा, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 18/3/63 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि- 1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत सिंहवाड़ा-माधोपुर-बस्तवाड़ा पंचायत के माधोपुर चौड़ में फुलथुआ सीमा के पास बने पुल से बाढ़ के पानी की निकासी बाधित होने से लगभग 400 एकड़ उपजाऊ जमीन 5-6 महीनों तक जलमग्न रहती है, 2. क्या यह बात सही है कि फुलथुआ गाँव के कुछ ग्रामीणों द्वारा निजी भूमि का हवाला देकर पानी की निकासी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थल निरीक्षण व अमीन द्वारा पैमाइश कराकर, जनता की भूमि का मुआवजा प्रदान करते हुए भूमि अधिग्रहण करने और पानी की निकासी के लिए पक्की नहर का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा-माधोपुर-बस्तवाड़ा पंचायत में अवस्थित माधोपुर चौर से बरसात के पानी की निकासी सतही बहाव द्वारा फुलथुआ ग्राम में बने सड़क पर निर्मित पुल से होते हुए अरई-बनौली जमींदारी बाँध पर निर्मित AFS के माध्यम से होते हुए जुरिया नदी में होता है। यह नदी आगे चलकर विशुनपुर होते हुए बागमती नदी (स्थानीय निवासी इसे करेह नदी भी कहते हैं) में मिल जाती है। मानसून अवधि में जल निकासी सुगमता से होती है। वर्तमान में माधोपुर चौर में जल जमाव की स्थिति नहीं है एवं किसानों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है।

श्री मुरारी मोहन झा, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० 18/3/63 का पूरक सामग्री

दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा-माधोपुर-बस्तवाड़ा पंचायत में अवस्थित माधोपुर चौर से बरसात के पानी की निकासी सतही बहाव द्वारा फुलथुहा-बनौली, सड़क पर निर्मित पुल से होते हुए अरई-बनौली जमींदारी बाँध पर निर्मित AFS के माध्यम से सद्वारा ग्राम के समीप जुरिया नदी में होता है। यह नदी गोढ़यारी ग्राम के समीप बागमती नदी (स्थानीय निवासी इसे करेह नदी भी कहते हैं) में मिल जाती है। वर्णित क्षेत्रों से मानसून अवधि में जल निकासी सुगमतापूर्वक होता है। वर्तमान में किसानों द्वारा वर्णित पंचायतों के क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जा रहा है।

कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा के स्थल निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि रैयतो द्वारा मिट्टी का खनन कर उपयोग लाये जाने के कारण पुल के दोनो तरफ कुछ दूरी तक नाला का स्वरूप देखा जाता है एवं किसी प्रकार विवाद नहीं है।

बिहार सरकार जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:- 29/सं०का०-06-13/2026

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र ज्ञापांक-प्रश्न विविध-04/2025-1068/विधान सभा, दिनांक-22.04.2026 के आलोक में नेवा पोर्टल यथा cms.neva.gov.in के माध्यम से विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने निमित्त आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं०-18/3/63 के आलोक में उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-4698, दिनांक-18.07.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बलिराम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 29/सं०का०-06-13/2026

5032

पटना, दिनांक:-

31/08/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आईटी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।